कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामपुर।

पत्रांकः प-8/सीएफओ-आरपीआर-पैट्रोल, पम्प-रामपुर दिनांक-जनवरी,17,2017

सेवा में,

जिलाधिकारी

रामपुर।

विषय :- ग्राम जनूनागर तहसील मिलक जिला रामपुर के खसरा/गाटा सं0-750 पर इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः- आपका पत्रांकः 223/जे0ए0-02 तद् दिनांक 12.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-2464/छः-पु0-8-2005 दिनांक 09, सितम्बर 2005।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक/संदर्भित अपने पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प की स्थापना सम्पत्ति आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रस्तावित स्थल का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण उपलब्ध कराये गये मानचित्रों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-

1. प्रश्नगत स्थल के सामने रोड की चौड़ाई मानक के अनुसार है।
2. प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु पैट्रोलियम एक्ट 1934 तथा उसके रूलस के अनुसार अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्धी प्राविधान किये जाने अनिवार्य होगें जो निम्नवत है-

1. 45लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली।
2. ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशन क्षमता 10किग्रा0 के 04 अदद स्थापित कराये जाये।
3. नो-स्मोकिंग बोर्ड एवं आपातकालीन टेलीफोन नम्बरों की सूची स्थापित कराया जाये।
4. 05-05 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं बाटर बकैट स्थापित कराये जाये।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के निर्माण कार्य के लिये आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है-

शेष पृष्ठ 2 पर.....

1. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के सभी निर्माण कार्य पैट्रोलियम एक्ट-1934 एवं सम्बन्धित पैट्रोलियम रूलस विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विषयों एवं सत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप।
2. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की हाई/लो टेन्शन विद्युत लाईन नहीं गुजारी जायेगी।
3. प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पैट्रोलियम पदार्थो के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नहीं किया जायेगा।
4. प्रस्तावित स्थल पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने के दौरान धूम्रान निषेद्य बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेगें।
5. डीजल भण्डार हेतु पैट्रोल पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर चिंगारी इत्यादि उत्पन्न करने वाले पदार्थो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किये जायेगें।
6. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलैक्ट्रीसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-1646-1982 व आई0एस0-2148 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार करायी जानी अनिवार्य होगी।
7. प्रस्तावित पैट्रोल पम्प तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं की स्थापना किये जाने के उपरान्त प्रस्तावित पैट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर आख्या प्राप्त करना होगी।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, किसान सेवा केन्द्र रिटेल/आउटलेट विकसित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी आख्या निर्गत की जाती है, अन्यथा की स्थिति में निर्गत की जा रही आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

17/01/17
(रेहान अली)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
रामपुर।